न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 249/17 ((RCMS No. 2017/00267) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बनैसिंह
2. रामवरन
3. रामवीर

पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कंचनपुर हाल आबाद ग्राम बैनपुरा खालसा तहसील बाडी जिला धौलपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

1. प्रेम सिंह पुत्र दीवान सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम बर्रेड हाल आबाद ग्राम बैनपुरा खालसा तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. मेघ सिंह उर्फ भूप सिंह पुत्र सोनपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैनपुरा खालसा तहसील बाडी जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 08.10.2014

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्टस
2. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील रैस्पो0 सं0 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांक :—28.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 08.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 362 रकवा 5 बीघा सिवायचक का आवंटन दिनांक 08.06.71 के आधार पर मेधसिंह पुत्र सोनपाल के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकररण सं0 61 तहसीलदार बाडी ने दिनांक 14.11.72 को स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध प्रेमसिंह पुत्र दीवान सिंह ने मेघ सिंह पुत्र सोनपाल के विरूद्ध इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी का नामा0 रैस्पो0 मेघ सिंह ने तहसीलदार से साजकर अवैध रूप से अपने नाम करा लिया है, जो विधि विरूद्ध है क्योंकि सोनपाल के दो लड़के भूपसिंह व मानसिंह थे। सोनपाल के मेघ सिंह नाम का कोई व्यक्ति नही है और न ही

मेघ सिंह के नाम से कोई आवंटन ही हुआ है। अपी0/रैस्पो0 सं0 1 प्रेमसिंह की उक्त आराजी से लगी हुई जमीन हैं जिसका वह खातेदार काश्तकार है। उक्त जमीन खलियान के काम आती है। किसी का कब्जा नही है, फिर भी अधीनस्थ अधिकारी ने बिना जॉच पड़ताल किये नामा0 आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 14.11.72 निरस्त किया जावे। मेघ सिंह ने जबाब पेश किया कि धूपसिंह का उप नाम मेघ सिंह है तथा गॉव में धूप सिंह व मेघ सिंह दोनों नामों से पुकारा जाता है। मेघ सिंह को दिनांक 28.06.71 को आवंटन धूप सिंह पुत्र सोनपाल के नाम किया गया था। राजस्व कर्मचारियों ने मेघ सिंह नाम से आवंटन भूमि का नामा सं0 61 दिनांक 14.11.72 को तस्दीक किया था, जो सही है। मेघ सिंह व घूप सिंह एक ही व्यक्ति है। अपील बेबुनियाद है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि आवंटन दिनांक 28.06.70 को भूप सिंह पुत्र सोनपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बनैपुरा खालसा को किया गया। नामा0 भूपसिंह पुत्र सोनपाल के नाम से स्वीकृत नही किया जाकर मेघ सिंह पुत्र सोनपाल के नाम स्वीकृत किया गया है। जबकि मेघसिंह को कोई आवंटन नही हुआ है। नामा0 को विधि विरूद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़ी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि प्रकरण में जॉच कर गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार नामा0 स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित नामान्तरकरण में रैस्पो0 प्रेम सिंह का कोई हित निहित नही है। इसलिये उन्हें अपील पेश करने का अधिकार नही है। प्रेमसिंह ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नही किया था, न ही अपील पेश करने की मंजूरी दी है। इसलिये अपील चलने योग्य ही नही थी। अपने पक्ष के समर्थन में 2013 आरबीजे 1 पेश की। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र का निर्णय पारित नही किया है जबकि पहले धारा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना चाहिये था। जैसाकि 2015 आरबीजे 111 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि रैस्पो0 1 प्रेम सिंह व रैस्पो0 सं0 2 मेघ सिंह का खास साला है रैस्पो0 सं0 2 ने यह अपील रैस्पो0 सं0 1 से प्रस्तुत करायी है जिसमें पटवारी हल्का भी शामिल है। वस्तुस्थिति यह है कि मेघ सिंह व भूप सिंह एक ही व्यक्ति हैं उन्हें विधिवत आवंटन हुआ था तथा कालान्तर में खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त कर दिये गये। इसके पश्चात मेघ सिंह उर्फ भूप सिंह ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख जण्डैल सिंह पुत्र सूवे को बिक्रय कर दी थी। बाद में जण्डैल सिंह ने उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28.04.2012 को अपीलान्टस को बिक्रय कर दी है। तभी से अपीलान्ट विवादित आराजी वहैसियत खातेदार कृषक काबिज हैं। बाद में मेघसिंह उर्फ भूप सिंह के मन में वदनीयती आ गई तथा उसने अपने खास भजीजे से उसे हुऐ आवंटन को चुनौती देते हुऐ एक अपील उनवानी अमर सिंह बनाम आवंटन कमेटी न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कराई जिसमें दिनांक 08.05. 2012 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने का आदेश हुआ। उक्त अपील अभी लम्बित है। उक्त अपील का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.14 की आदेशिका में इस बाबत् तहसीलदार बाड़ी को आदेश भी दिया था कि उक्त

Web Copy - Not Official

अपील एवं उसमें जारी स्थगन आदेश की प्रति भिजवायें परन्तु उक्त दस्तावेज प्राप्त किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उनका तर्क है कि आवंटन की अपील विचाराधीन है। उसमें स्थगन आदेश जारी था इसलिये अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नही था। विवादित आराजी के खातेदार पहले जण्डैल सिंह थे इसके बाद अपीलान्ट आ गये जो आवश्यक पक्षकार थे। उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाडी को विस्तृत जॉच हेतु आदेशित किया था परन्तु तहसीलदार बाडी ने कोई जॉच नही की अपितु पटवारी हल्का द्वारा साज कर संक्षिप्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को भेज दी थी। अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश की है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी के अपीलान्ट खातेदार कृषक है। उक्त आदेश से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

विद्धान वकील रैस्पो0 सं0 1 का तर्क है कि सोनपाल के दो लडके भूपसिंह व मानसिंह थे। सोनपाल के मेघ सिंह नाम का कोई व्यक्ति नही है और न ही मेघ सिंह के नाम से कोई आवंटन ही हुआ है। राजस्व रिकार्ड में मेघ सिंह का नाम गलत चला आ रहा है। नामा0 सं0 61 दिनांक 14.11.72 वॉके ग्राम बैनपुरा खालसा तहसील बाडी का मेघसिंह ने तहसीलदार से साज करके अपने नाम तस्दीक कराया है। उक्त नामा0 आदेश अवैधानिक है इसलिये ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील के लिये कोई मियाद नही होती है। विवादित आराजी खाली पड़ी हुई है। जिस पर खलियान रखे जाते हैं। रैस्पो0 सं0 1 नामा0 कार्यवाही में पक्षकार नही था। रैस्पो0 ने जानकारी की दिनांक से अपील पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि मेघ सिंह व धूप सिंह एक व्यक्ति नही है। पटवारी की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है। तहसीलदार द्वारा पारित नामा0 आदेश को विधि विरूद्ध मानते हुऐ खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी ख0 नं0 362/783 रकवा 5 बीघा जण्डैल सिंह पुत्र सूबे जाति गूजर सा0 मौरोली हाल धौलपुर खातेदार के नाम दर्ज है। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी मेघ सिंह के नाम थी। मेघ सिंह ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत वयनामा जण्डैल सिंह पुत्र सूवे को बिक्रय कर दी थी। जण्डैल को बिक्रय करने के कथन की पुष्टि नकल जमाबन्दी से हो रही है। अपीलान्ट का कथन है कि जण्डैल सिंह ने उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28.04.2012 को अपीलान्टस को बिक्रय कर दी है। परन्तु इस कथन की पुष्टि में कोई रिकार्ड पेश नही किया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह भी साबित हो रहा है कि उक्त आराजी के संबंध में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में आवंटन आदेश दिनांक 28.06.71 के विरूद्ध एक अपील अमर सिंह बनाम आवंटन कमैटी वगैरहा की जेरकार है जिसमें दिनांक 08.05.2012 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने का आदेश हुआ है तथा अपील का लम्बित होना भी जाहिर है। परन्तु इस तथ्य पर भी गौर किये बिना ही नामा0 को निरस्त किया जाना विधिसम्मत् नही कहा जा सकता है। विवादित

आराजी के खातेदार जण्डैल सिंह थे जो आवश्यक पक्षकार थे उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नही किया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश पारित कर दिया, जो उचित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाकर तथा सुनवाई का अवसर देकर, गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.01.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official